न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा– 46(1) बी के तहत

	रेश	आवे			तारीख
3		2			1
	कुमार महतो पिता—स्व० गोविन्द महतो ाड़ेया,पो०—जाड़ेया, थाना—सोनाहातु, ची (झारखण्ड) जाति—कुरमी, पेशा—खेती ।	ग्राम–ज	नाम एवं	विकेता का	10/.02/2022
	महतो पिता—युगल महतो —मारचाडीह, पो०—एडरमहातु, ा—सोनाहातु, जिला—राँची (झारखण्ड) ते—कुरमी, पेशा—खेती ।	ग्राम- थान	एवं पताः	केता का नाम	
	वक्ता के माध्यम से दिनांक 23/12/2021 अधिनियम 1908 की धारा—46 (1) बी के महतो ग्राम—मारचाडीह, पो०—एडरमहातु,) जाति—कुरमी, पेशा—खेती के हाथों	रानागपुर काश्तकारी हितो पिता—युगल गा—राँची (झारखण्ड बिकी हेतु अनुमति	विकेता देकर छोट चरण म तु, जिल	को आवेदन व तहत केता थाना–सोनाहा	
		सोनाहातु, थाना सं०	द, थाना–	मौजा–सालस	
	चौहदी	रकवा	प्लॉट सं०	खाता सं०	
	उ०-गुरूचरण महतो, द०-उपेन्द्र नाथ महतो वगैरह पू०-रास्ता, प०-सृष्टीधर महतो वो	1.46 ए० मध्ये 0.6 ए०	1249	112	

अंचल अधिकारी सोनाहातू का पत्रांक-30(।।) दिनांक 18/01/2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो निम्नवत है:-

- 1. प्रस्तावित जमीन के खितयानी रैयत मनमाली महतो वगैरह के नाम से दर्ज
- 2. खतियानी रैयत / पंजी-।। रैयत के संबंध दादा-पोता का है।
- 3. पंजी-।। के अनुसार रैयत परान महतो वगैरह के नाम पर दर्ज है।
- 4. प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2021-2022 तक वसूली की गई है।
- 5. खतियानी के आधार पर जमाबंदी कायम है।
- 6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी किस्म है।
- 7. प्रस्तावित जमीन बिकी करने के पश्चात विकेता के पास रकवा-1.64 एकड़ जमीन शेष रह जायगा।
- 8. विकेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी ईलाज व मकान बनाने हेतु बिकी कर रहे
- 9. केता एवं विकेता दोनों कुरमी जाति के सदस्य है एवं दोनों एक ही जिला के निवासी है।

10/0/2022

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी सोनाहातु ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 (1) बी के तहत विकेता निर्मल कुमार महतो पिता—स्व० गोविन्द महतो ग्राम—जाड़ेया, पो०—जाड़ेया, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची, जाति—कुरमी, पेशा—खेती को केता चरण महतो पिता—युगल महतो ग्राम—मारचाडीह, पो०—एडरमहातु, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी, पेशा—खेती के हाथों बिकी करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 23/12/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने

कोई आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी सोनाहातु के अनुशंसा के आलोक में निम्निलिखित जमीन की विकेता विकेता निर्मल कुमार महतो पिता—स्व० गोविन्द महतो ग्राम—जाड़ेया, पो०—जाड़ेया, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची, जाति—कुरमी, पेशा—खेती को केता चरण महतो पिता—युगल महतो ग्राम—मारचाडीह, पो०—एडरमहातु, थाना—सोनाहातु, जिला—राँची (झारखण्ड) जाति—कुरमी, पेशा—खेती के हाथों बिकी करने की अनुमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा—46 (।) बी के तहत दी जाती है तथा अवर निबंधक बुण्डू/जिला अवर निबंधक राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित जमीन की विकी सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगें।

जमीन की विवरणी

मौजा-सालसूद, थाना-सोनाहातु, थाना सं०-35

खाता सं०			चौहदी
112	1249	1.46 ए० मध्ये 0.6 ए०	उ०-गुरूचरण महतो, द०-उपेन्द्र नाथ महतो वगैरह पू०-रास्ता, प०-सृष्टीधर महतो वो दिनेश महतो

लेखापित एवं सशोंधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता बुण्डू,। भूमि सुधार उप समाहर्ता बुण्डू।